न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर,टोंक

प्रकरण संख्या

20 / 2026

श्री दिलखुश नाथ निवासी ग्राम मुडियाला पोस्ट खरेडा तहसील व जिला टोंक पिन 304505

——अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक **09.04.2026**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को दिनांक 09.12.2025 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गई थी :—
1. लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ), नगर परिषद टोंक, जिला – टोंक (राजस्थान) विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत टोंक शहर के मास्टर प्लान / टाउन प्लान की मान्यता उपलब्ध संस्था के संबंध में। श्रीमान, निवेदन है कि कृपया मुझे टोंक नगर परिषद क्षेत्र से संबंधित निम्नलिखित जानकारी उपलब्ध कराएं: ——— मांगी गई सूचनाएं: 1 टोंक नगर परिषद का वर्तमान मास्टर प्लान / टाउन प्लान (मास्टर प्लान / टाउन डेवलपमेंट प्लान) की पुष्टि प्रति।
2. शहर का रोड नेटवर्क योजना (सड़क नेटवर्क लेआउट मानचित्र) प्रस्तावित स्ट्रीटकरण, नई सड़कें, मोटोरोला आदि शामिल।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 283 दिनांक 13.02.2026, 389 दिनांक 26.02.2026 व 509 दिनांक 13.03.2026 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 122 दिनांक 24.03.2026 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनां का संबंध लोक सूचना अधिकारी एंव आयुक्त नगर परिषद टोंक कार्यालय से होने से उनके पत्र कमांक 1203 दिनांक 15.12.2025 से प्रार्थना पत्र अन्तरित करते हुए पत्र कमांक 1204 दिनांक 15.12.2025 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है। लोक सूचना अधिकारी एवं आयुक्त नगर परिषद टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता नहीं है। अपीलान्ट आयुक्त नगर परिषद टोंक के प्रथम अपीलेट अधिकारी के समक्ष नियमानुसार अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(टीना डाबी)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक